

कार्यालय पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी।

प्रेस नोट

दिनांक-31.05.2024

विषय:- "आपरेशन कन्विक्शन" के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना चौबेपुर से संबंधित मुकदमे में अभियुक्त को 04 वर्ष के सश्रम कारावास व 10,000/- रु0 अर्थदण्ड की सजा।

थाना चौबेपुर, किमश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-276/2021 धारा 363,366,376(3) भा0द0वि0 व ¾ पॉक्सो एक्ट, मु.नं.-920/2021 से सम्बन्धित अभियुक्त 1-सुरेश राजभर पुत्र स्व0 देवराज निवासी ग्राम व पोस्ट मुस्तफाबाद, नई कोट थाना चौबेपुर, जनपद वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक चौबेपुर व मानिटिरंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक-31.05.2024 को माननीय न्यायालय विशेष न्या0 पॉक्सो-II जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त सुरेश राजभर उपरोक्त को अंतर्गत धारा 363 भा0द0वि0 मे 04 वर्ष के सश्रम कारावास व 10,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 10 दिन के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी।

सोशल मीडिया सेल पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, कमिश्लरेट वाराणसी